ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

The 31st January, 1986

No. 4/71/85-JJ (3) 85.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the Governor of Haryana is pleased to appoint Shri S. N. Singla, District Attorney, Kurukshetra as Special Public Prosecutor for conducting criminal case, F. I. R. No. 269 dated 18th June, 1983, under section 27/54/59 of Arms Act and 307 I. P. C., P. S. Chandigarh South (U. T.) Chandigarh *versus* Jawahar Lal.

The 3rd February, 1986

No. 4/84/78-JJ(3).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 25 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Parliament Act 2 of 1974) and all other powers enabling him in this behalf the Governor of Haryana hereby appoints Shri Arun Chaudhary District Attorney under training at Rohtak to be Assistant Public Prosecutor in Rohtak District with immediate effect.

L. C. GUPTA,
Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

न्याय प्रशासन विभाग

दिनांक 31 जनवरी, 1986

संख्या 4/71/85-जे.ज (3) 85.—अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (नं० 2, 1974) के खण्ड 24 के उप-खण्ड (8) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा श्री सत्यनारायण सिंगला, जिला न्यायवादी, कुरुक्षेत्र, को एफ.आई.आर. नं० 267, दिनांक 18 जून, 1983, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 27/54/59 और भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 307 के अधीन पुलिस स्टेशन, चण्डीगढ़ दक्षिण, संघीय क्षेत्र चण्डीगढ़, बनाम जवाहर लाल में प्रतिवादी के रूप में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करते हैं।

एल० सी० गुप्ता,
कृत वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HOME (POLICE) DEPARTMENT

The 7th February, 1986

No. 1378/SA-2.—Cash Leave.—In accordance with the instructions contained in Haryana Government, Finance Department letters No. 11/5/78-FR-II, dated 13th February, 1978 and No. 11/5/78-FR-II, dated 21st August, 1978, read with the advice received from the Home Department, Haryana,—*vide* their letter No. 17/1/79-HGI, dated 25th April, 1979, the Governor of Haryana is pleased to grant cash payment in lieu of 180 days unutilised leave equivalent to leave salary to Shri Ram Kala, DSP, Narnaul, who has been retired on superannuation on the afternoon of 31st January, 1986, on the following conditions :—

(1) The cash equivalent of leave salary thus admissible will be paid in the lump sum as one time settlement.

(2) The cash payment will be equal to leave salary admissible for earned leave and dearness allowances admissible on that leave salary at the rates in force on the date of retirement and no compensatory allowance, house rent allowance and kit maintenance allowance shall be payable.

It is certified that Shri Ram Kala, D.S.P., did not avail of any portion of L.P.R. of 180 days before the date of superannuation.

M. S. BAWA,
Jt. Secretary and Director-General of Police,
Haryana.

HEALTH DEPARTMENT

The 30th January, 1986

No. 1/5/82-1HB-III.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Drugs and Cosmetices Act, 1940, the Governor of Haryana hereby appoints Shri Manish Mohan Gulati, Drugs Inspector, as Inspector for the purpose of Chapter IV of the said Act within the whole State of Haryana.

TARSEM LAL,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

स्वास्थ्य विभाग

दिनांक 30 जनवरी, 1986

सं. 1/5/82-[एच.बी.-III]—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, की धारा 21 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री मनोज मोहन गुलाटी, औषधि निरीक्षक, को इसके द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय IV के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के भीतर निरीक्षक के रूप में नियुक्त करते है।

तरसेम लाल,
सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

श्रम विभाग

शुद्धि-पत्र

दिनांक 7 फरवरी, 1986

सं० ओ.वि./एफ.डी./105-85/5515.—हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक ओ.वि./एफ.डी./105-85/29647, दिनांक 17 जुलाई, 1985 जो कि हरियाणा राज्य पत्रिका, दिनांक 23 अगस्त, 1985, पृष्ठ 2040 पर छपा है, में शब्द "चुन्नी लाल" के स्थान पर "छवि लाल" पढ़ा जाए।

जे० पी० रतन,
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 31 जनवरी, 1986

क्रमांक 1547-ज-(2)-85/3858.—श्री प्रताप सिंह, पुत्र श्री शियोदत्त, गांव सोहड़ी, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 27 मार्च, 1933, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रताप सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6396-आर-(4)-67/4696 दिनांक 13 दिसम्बर, 1967, 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती चम्पा देवी के नाम खरीफ, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 3 फरवरी, 1986

क्रमांक 37-ज(I)-86/4082.—श्री रामजीलाल, पुत्र श्री उदमीराम, गांव मोहाना, तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत, की दिनांक 29 नवम्बर, 1983, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामजी लाल की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2-47-ज-(II)-75/31437, दिनांक 21 अक्तूबर, 1975, तथा 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती मनतयारी के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।